नवम्बर, 2009
NOVEMBER, 2009

S-06

बीमा सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा
मोटर बीमा
EXAMINATION FOR INSURANCE SURVEYORS
MOTOR INSURANCE

समय : 3 घंटे] [कुल अंक : 100
Time: 3 Hours] [Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं परन्तु यह अनिवार्य नहीं। शेष सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक 12 अंक हैं।

Answer **eight** Questions only. Question **one** carries 16 Marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each.

Marks

1. इस समय भारत में मोटर बीमा कर रही सभी बीमा कंपनीयों को, यहां तक कि मोटर पॉलिसी के स्व-क्षति वाले खंड के अंतर्गत भी, उच्च दावा अनुपात की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस दावा अनुपात को कम करने के लिए सर्वेयर बीमा कंपनियों की किस तरह मदद कर सकते हैं ? विस्तारपूर्वक बताइए। 16

1. Presently all insurance companies wanting motor insurance in India are facing the problem of high claim ratio even under own Damage Section of Motor policy. In what way surveyors can help insurance companies in bringing down the claim ratio? Explain in detail. 16

2. मोटर बीमा के प्रसंग में निम्नलिखित दस्तावेजों के महत्व को संक्षेप में बताइए : (प्रत्येक के 4 अंक)
   क) बीमा प्रमाण पत्र
   ख) मार्ग परमिट
   ग) पृष्ठांकन

2. Write in brief about importance of the following documents in Motor insurance. 4 each
   a) Certificate of Insurance
   b) Route Permit
   c) Endorsement

3. 'दोषहीन दायित्व' क्या होता है ? 12
   मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत आने वाले 'दोषहीन दायित्व' संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

3. What is No Fault Liability? Explain the provision under section 140 of M.V Act in respect of No Fault Liability. 12

4. i) प्राइवेट कार 'स्व-क्षति' दावा निपटान हेतु अपनाई जाने वाली दावा पद्धति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 8

ii) प्राइवेट कार 'स्व-क्षति' दावों के निपटान हेतु आवश्यक दस्तावेजें को सूचीबद्ध कीजिए। 4

4. i) Write a brief note on claim procedure for a private car 'own damage' claim. 8

ii) List out the documents required for settlement of private car 'own Damage' claims. 4

5. किन्हीं **तीन** के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (प्रत्येक के 4 अंक)

क) भौगोलिक क्षेत्र-पॉलिसी के अंतर्गत विस्तार

ख) मोटर बीमा के अंतर्गत भौगोलिक अंचल

ग) ड्रायवर संबंधी खंड

घ) मालिक-ड्रायवर हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण

5. Write short notes on **any three** : 4 each

a) Geographical Area-Extension under the policy

b) Geographical zones in Motor Insurance

c) Driver clause

d) Personal Accident cover to owner driver

5. स्पॉट सर्वेक्षण रिपोर्ट और अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारियाँ सूचीबद्ध कीजिए । 12

6. List out the information required to be given in Spot Survey Report and Final Survey Report. 12

7. निम्नलिखित में परस्पर अंतर स्थापित कीजिए । (प्रत्येक के 3 अंक)

क) सहायक उपकरण एवं अतिरिक्त फिटिंग

ख) स्टेज कैरियेज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरियेज

ग) मार के टक्कर रफूचक्कर एवं दोषहीन दायित्व

घ) किराया-खरीद करार के अधीन वाहन एवं दृष्टि बंधक करार के अधीन वाहन ।

7. Differentiate between:- 3 each
   a) Accessories & Extra Fittings
   b) Stage carriage & contract carriage
   c) Hit & Run & No Fault Liability
   d) Vehicle subject to H.P agreement & Vehicle subject to Hypothecation Agreement.

8. क्या मोटर बीमा करने के लिए प्रस्ताव पत्र का होना अनिवार्य है ? 12
प्राइवेट कार/दुपहिया वाहनों हेतु प्रयुक्त प्रस्ताव पत्र में पाये जाने वाले पांच महत्वपूर्ण प्रश्नों और मोटर बीमांकन के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता के बारे में लिखिए ।

8. Is proposal form compulsory in motor insurance? Write about five important questions which appear in the proposal form for private car/ two wheelers and their relevance in Motor underwriting. 12

9. मोटर तृतीय पार्टी दावे का बचाव करते हुए यदि किसी मोटर वाहन के मालिक/ड्राइवर के विरूद्ध लापरवाही का आरोप लगाया जाता है तो वे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें बचाव के लिए उठाया जा सकता है ? 12

9. What important defences can be raised when defending a Motor T.P. claim when negligence is alleged against the owner/driver of a motor vehicle? 12

10. अप्रैल 2007 में निर्मित किसी वाणिज्यिक वाहन का रू. 12,00,000 का बीमा कराया गया है । बीमाधारक ने पृष्ठांकन क्र 21 के अंतर्गत आने वाले अपवर्जनों को हटाने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम भरा है । वाहन 30.09.2009 को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है । 12
सर्वेयर ने निम्नानुसार हानि का निर्धारण किया है :

			रू.
i)	मरम्मत खर्च (श्रम)	-	35,000/-
ii)	धातु निर्मित कल-पुर्जों का मूल्य	-	25,000/-
iii)	रबड़ के पुर्जों का मूल्य	-	13,000/-
iv)	पेंटिंग प्रभार	-	4,000/-
v)	नये टायरों का मूल्य	-	10,000/-
vi)	नये बंपरों का मूल्य	-	3,000/-
vii)	टोइंग प्रभार	-	बिल के अनुसार (बीमाधारक ने रू. 5,000 का भुगतान किया है)
viii)	साल्वेज़	-	Rs.2000/-

पॅकेज पॉलीसी के अंतर्गत बीमाकर्ता के दायीत्व की गणना कीजिए ।

10. A commercial vehicle make April 2007 is Insured for Rs. 12,00,000/- The insured has paid additional premium for deletion of exclusions under Endt. No. 21. 12

Vehicle met with an accident on30.09.2009. The Surveyor has assessed the loss as under:

			Rs.
i)	Repair charges (labour)	-	35,000/-
ii)	Cost of metal parts	-	25,000/-
iii)	Cost of Rubber parts	-	13,000/-
iv)	Painting charges	-	4,000/-
v)	Cost of new tyres	-	10,000/-
vi)	Cost of new bumper	-	3,000/-
vii)	Towing charges	-	As per bill (insured paid Rs.5000/-)
viii)	Salvage	-	Rs.2000/-

Calculate the insurer's liability under Package policy.

----- समाप्त -----

—— THE END ——